हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
सामान्य प्रशासन शाखा

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष, 2015 की तृतीय नियमित बैठक की कार्यवाही, जो दिनांक 10 जुलाई, 2015 को दोपहर 12–00 बजे आचार्य ए0डी0एन0 बाजपेयी, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई । बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :–

1– आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान
2– श्री डी.सी. राणा
3– श्री राजेश शर्मा
4– श्री दिनकर बुड़ाथोकी
5– डॉ0 एस0एस0 कौशल
6– आचार्य पी0एन0 बंसल
7– श्री कृष्ण बैद्य
7– आचार्य सतीश चन्द भढवाल
8– श्री चन्द्र शेखर
9– श्री देवी राम वर्मा
9– श्री हरीश जनारथा
10–डॉ0 अनुराग शर्मा
11–डॉ0 पंकज ललित –कुलसचिव
सदस्य–सचिव

<u>मद संख्या–1:</u> कुलपति महोदय का वक्तव्य ।

.....

कुलपति महोदय द्वारा अपने वक्तव्य में सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की **वर्ष 2015 की तृतीय नियमित बैठक** *सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया गया।*

उन्होंने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉ.पंकज ललित का विश्वविद्यालय के तीसवें कुलसचिव के रूप में स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि इनका कुशल प्रशासनिक अनुभव विश्वविद्यालय के चहुमुखी विकास में सहायक सिद्ध होगा।

उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र–2015–16 के लिए विभिन्न विभागों में प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ कर दी है तथा सभी बड़े विभागों में यह कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। विश्वविद्यालय द्वारा मार्च में आयोजित की गई स्नातक स्तर के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के परिणाम भी लगभग घोषित किए जा चुके हैं। इसके साथ–साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षाएं भी सुचारू रूप से चल रही हैं।

उन्होंने कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों को सूचित किया कि दिनांक 9 जून, 2015 को विश्वविद्यालय का 22वां दीक्षांत समारोह जिसमें भारत के उप–राष्ट्रपति महामहिम मो. हामिद अंसारी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया तथा दीक्षांत उद्‌बोधन दिया था, सफलतापूर्वक आयोजित किया गया ।

इस अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की गईं:–

1. दिनांक 23–25 मई, 2015 को लवली प्रोफेशनल विश्वविद्यालय फगवाड़ा में भारतीय विश्वविद्यालय संघ की **89वीं वार्षिक सामान्य बैठक** *में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया।*

2. दिनांक 26 मई, 2015 को विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग और राज्य सरकार की संस्कृत अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में **एक दिवसीय संगोष्ठी** *का आयोजन किया गया।*

3. दिनांक 1 जून, 2015 को हिमाचल प्रदेश के **पोस्ट मास्टर जनरल–जनरल ए.के.सूरी** *के साथ विश्वविद्यालय में बैठक आयोजित की गई।*

4. दिनांक 2 जून, 2015 को विश्वविद्यालय परिसर में लाहौल–स्पिति छात्र कल्याण संघ के **वार्षिक उत्सव** *में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया।*

5. दिनांक 4 जून, 2015 को विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर केन्द्र के **वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह** की अध्यक्षता की।

6. दिनांक 5 जून, 2015 को **विश्व पर्यावरण दिवस** के अवसर पर जैव–प्रौद्योगिकी विभाग, एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान तथा लोक प्रशासन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की अध्यक्षता की।

7. दिनांक 5 जून, 2015 को विश्वविद्यालय कोर्ट की **नियमित बैठक आयोजित** की गई जिसमें वर्ष 2013–14 की वार्षिक रिपोर्ट तथा वर्ष 2009–10 के वार्षिक लेखा प्रतिवेदन को स्वीकृति प्रदान की गई।

8. दिनांक 12 जून, 2015 को **माननीय राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश एवं कुलाधिपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय श्री कल्याण सिंह** के साथ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया।

9. दिनांक 12 जून, 2015 को ही **हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री, श्री वीरभद्र सिंह** के साथ विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया ।

10. दिनांक 13 जून, 2015 को अग्रसेन विश्वविद्यालय बद्दी द्वारा आयोजित ***एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी*** *में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया।*

11. दिनांक 20 जून, 2015 को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के तत्वावधान में शिमला तार घर के पास से चौड़ा मैदान तक **योगदौड़** का आयोजन किया गया।

12. दिनांक 21 जून, 2015 को **अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस** के तत्वावधान में विश्वविद्यालय परिसर में **योग शिविर** का आयोजन किया गया।

13. दिनांक 24 जून, 2015 को **अमेरिका से आए गणित के आचार्य सट्थर्न** ने गणित के विभिन्न आयामों पर व्याख्यान दिया।

14. दिनांक 27 जून, 2015 को राजकीय कन्या महाविद्यालय द्वारा आयोजित **राष्ट्रीय संगोष्ठी** की अध्यक्षता की।

15. दिनांक 27 जून, 2015 को ही **विश्वविद्यालय की वित्त समिति** *की बैठक आयोजित की गई।*

16. दिनांक 29 जून, 2015 को आरट्रैक, शिमला से ब्रिगेडियर अतुल कौशिक के साथ संयुक्त तत्वावधान में **शैक्षणिक आदान–प्रदान** के लिए विचार–विमर्श किया गया।

17. दिनांक 29 जून, 2015 को ही परीक्षा शाखा विशेष रूप से परीक्षा परिणाम घोषित करने के बारे में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

18. दिनांक 1 जुलाई, 2015 को **अफ़ग़ानिस्तान में काबुल स्थित बक्तर विश्वविद्यालय के साथ इक्डोल** के माध्यम से दूरवर्ती शिक्षा के लिए अध्ययन केन्द्र खोलने सम्बन्धी समझौता ज्ञापन के बारे में विचार विमर्श किया गया।

19. दिनांक 8 जुलाई 2015 को विश्वविद्यालय की **वित्त समिति** *की बैठक आयोजित की गई जिसमें विश्वविद्यालय समुदाय से सम्बन्धित कई मदों पर विचार विमर्श किया गया।*

तत्पश्चात् उन्होंने विश्वविद्यालय के कुलसचिव से आग्रह किया कि बैठक के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद् के सम्मुख चर्चा एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत करें।

मद संख्या–2: कार्यकारिणी परिषद् की पिछली बैठकों दिनांक 29–4–2015 तथा 22–5–2015 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने पिछली बैठकों दिनांक 29–4–2015 तथा 22–5–2015 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण किया।

मद संख्या–3: कार्यकारिणी परिषद् की पिछली बैठकों दिनांक 29–4–2015 तथा 22–5–2015 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने पिछली बैठकों दिनांक 29–4–2015 तथा 22–5–2015 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का निम्नलिखित टिप्पणी/संशोधन के साथ अनुमोदित किया :–

(मद संख्या–3(21)(12): कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य श्री देवी राम वर्मा ने अनुभाग अधिकारी व सहायक कुलसचिव के वेतनमान में आई वेतन विसंगति का मामला उठाया और कहा कि सहायक कुलसचिव की जिम्मेदारियां अनुभाग अधिकारी से अधिक हैं । इसके अतिरिक्त 1973, 1986 और 1996 के संशोधित वेतनमानों में सहायक कुलसचिव का वेतनमान अनुभाग अधिकारी से अधिक था । अतः 2010 में सहायक कुलसचिव को प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये वेतनमान जिसमें अनुभाग अधिकारी व सहायक कुलसचिव को जारी किया गया ग्रेड–पे एक समान है में आई विसंगति को दूर किया जाये । इस पर कुलपति महोदय ने कार्यकारिणी परिषद् को अवगत करवाया कि यह मामला वित्त समिति की दिनांक 18–2–2015 को हुई बैठक में मद संख्या–12 के अंतर्गत वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिस पर समिति ने यह निर्णय लिया था कि अनुभाग अधिकारी व सहायक कुलसचिव के वेतनमान में कोई विसंगति नहीं है । समानांतर ग्रेड–पे सरकार में विसंगति नहीं मानी जाती है । इसके अतिरिक्त सहायक कुलसचिव की अन्य पदों से कोई parity नहीं है जैसा कि उच्च न्यायालय में दायर एल.पी.ए. संख्या–11/2012 द्वारा निर्णय हो चुका है । इस पर श्री देवी राम वर्मा ने कहा कि एल.पी.

ए. संख्या–11/2012 का इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि इससे पहले जारी वेतनमान संशोधनों में इन दोनों पदों के लिए अलग–अलग वेतनमान जारी किये जाते रहे हैं ।

अतः उपरोक्त मद पर चर्चा के उपरान्त कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि मामले को माननीय उच्च न्यायालय में दायर एल.पी.ए. संख्या–11/2012 तथा अन्य पूर्ण तथ्यों के साथ पुनः वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।

<u>मद संख्या–4:</u> कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–12–सी (7) के अंतर्गत लिए गए निर्णयों से अवगत करवाना।

.....

कुलपति महोदय ने उपरोक्त प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत इस अवधि में कोई कार्रवाई नहीं की है ।

<u>मद संख्या–5:</u> कार्यकारिणी परिषद् के सम्माननीय सदस्यों से यदि कोई मद प्राप्त हुई है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों से निर्धारित अवधि के अन्दर कोई मद प्राप्त नहीं हुई है ।

<u>मद संख्या–6:</u> विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक व अन्य भवनों की साफ–सफाई के कार्यों का बाह्यकरण करने हेतु मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकन एवम् अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने बारे ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक व अन्य भवनों के साफ–सफाई के कार्यों का बाह्यकरण करने के लिए गठित समिति की सिफारिशों पर विचार–विमर्श करने के उपरान्त यह निर्णय किया कि विश्वविद्यालय के साफ–सफाई के पहले से बाह्यकरण किये गये भवनों व छात्रावासों की अनुबन्ध अवधि समाप्त होने के उपरान्त इन सभी भवनों के साफ–सफाई के कार्य का बाह्यकरण करने के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित की जायें। परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि बाह्यकरण की गई एजैन्सी द्वारा साफ–सफाई के लिए नियुक्त कर्मचारियों की उपस्थिति विश्वविद्यालय पर्यवेक्षक द्वारा ली जायेगी तथा यह पर्यवेक्षक इन कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले कार्य का निरीक्षण भी करेगा ताकि विश्वविद्यालय में

उचित सफाई व्यवस्था रहे। परिषद् ने यह भी कहा कि भविष्य में इस सन्दर्भ में विश्वविद्यालय प्रशासनिक स्तर पर उचित निर्णय ले ।

मद संख्या–7: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पत्र संख्याः F.1-2/2009(EC/PS)V(I)Vol-II dated 13.6.2013 को इस विनियम, 2010 के वांक्याश संख्या 6.0.1, 6.0.2, 7.3.0 व अपैंडिक्स–III टेबल–1 की श्रेणी–I,II व III में किए गए संशोधनों को कार्यकारिणी परिषद् की अनुमति हेतु प्रस्तुत करने बारे ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले का पुनर्निरीक्षण करने के लिए मद को आगामी बैठक तक स्थगित करने का निर्णय लिया ।

मद संख्या–8: माननीय कुलपति महोदय द्वारा किन्ही अपरिहार्य कारणों से उपाधि पूर्ण होने के उपरान्त भी पंजीकरण नहीं करवा पाने वाले छात्रों के लिए नियम बनाने के लिए गठित समिति की दिनांक 12–6–2015 को हुई बैठक की सिफारिशें कार्यकारिणी परिषद् के अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हैं ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने किन्हीं अपरिहार्य कारणों से निर्धारित अवधि के पूर्ण होने के उपरान्त भी पंजीकरण नहीं करवा पाने वाले छात्रों के लिए नियम बनाने के लिए गठित समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः5–3/2011–हि0प्रवि0(परीक्षा भण्डार) दिनांक 22–8–2014 के क्रमांक–49(b) के बाद क्रमांक -49(c) जोड़ने, जिसमें प्रत्येक छात्र से पंजीकरण हेतु निर्धारित तीन वर्ष की अवधि के उपरान्त प्रति वर्ष 2000/–रूपये अतिरिक्त प्रभार बसूलने का प्रावधान है के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या–9: विश्वविद्यालय में प्री–फैब्रिकेटेड तकनीक से भवन निर्माण बारे गठित समिति की सिफारिशें कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने प्री–फैब्रिकेटेड तकनीक से भवन निर्माण बारे गठित समिति की सिफारिशों पर विचार–विमर्श करने के उपरान्त उन्हें स्वीकार कर विश्वविद्यालय मॉडल स्कूल के प्रस्तावित भवन निर्माण को परम्परागत तकनीक से निर्मित करने हेतु अनुमोदित किया ।

कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि परिषद् द्वारा पूर्व में विश्वविद्यालय मॉडल स्कूल को 10+2 का दर्जा प्रदान किया था लेकिन अभी तक मॉडल स्कूल में 10+2 की कक्षाएं प्रारम्भ नहीं की गई हैं, इस बारे पूर्ण ब्यौरा कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।

मद संख्या–10: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष सहायक आचार्य (अर्थशास्त्र) आजीवन शिक्षा विभाग में दिनांक 27–6–2015 को आयोजित साक्षात्कार में चयन समिति की सिफारिशें प्रस्तुत करने बारे ।

.....

माननीय कुलपति जी ने यह प्रकरण वापस लिया।

मद संख्या–11: कार्यकारिणी परिषद् की दिनांक 31–3–2015 को हुई बैठक में यथा–स्थान लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में वर्ष 2012 से पूर्व 5 वर्ष में की गई नियुक्तियां कब, कैसे और किन नियमों के तहत हुईं का ब्यौरा कार्यकारिणी परिषद् के अवलोकनार्थ प्रस्तुत हैं ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालयों के विभिन्न विभागों/संस्थानों में वर्ष 2012 से पूर्व 5 वर्ष में की गई नियुक्तियों को नोट किया ।

मद संख्या–12: Preparation and maintenance of Tabulation Chart for Under Graduate classes under Choice Based Credit System (RUSA) for preparation, checking and collation of result and for maintenance as a permanent record on the basis of which the degree may be awarded.

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मद पर गहन विचार–विमर्श के उपरान्त मामले को रूसा प्रणाली के कार्यान्वयन के गठित विभिन्न समितियों, महाविद्यालयों के प्राचार्यों व महाविद्यालय प्राध्यापक संघ द्वारा दिये गये सुझावों के साथ निर्धारित समय अवधि के भीतर पुनः परिषद् के समक्ष रखने का निर्णय लिया ।

मद संख्या–13: विश्वविद्यालय कन्या छात्रावासों की साफ–सफाई के कार्यों का वाह्यकरण करने हेतु मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने बारे ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने प्रस्तावित छात्रावासों के साफ–सफाई के कार्य का बाह्यकरण किसी एजैन्सी से खुली निविदाएं आमंत्रित कर करने का निर्णय लिया । परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि बाह्यकरण की गई एजैन्सी द्वारा साफ–सफाई के लिए नियुक्त कर्मचारियों की उपस्थिति विश्वविद्यालय

पर्यवेक्षक द्वारा ली जायेगी तथा यह पर्यवेक्षक इन कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले कार्य का निरीक्षण भी करेगा ताकि विश्वविद्यालय में उचित सफाई व्यवस्था रहे। परिषद् ने यह भी कहा कि भविष्य में इस सन्दर्भ में विश्वविद्यालय प्रशासनिक स्तर पर उचित निर्णय ले ।

मद संख्या–16: कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय में मानव संसाधन भर्ती प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए नियमावली–2015 कार्यकारिणी परिषद् के अवलोकन एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मद पर विचार करने के उपरान्त मामले को पूर्ण तथ्यों के साथ अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया ।

मद संख्या–17: स्नातक स्तर के महाविद्यालयों में प्रवेश की तिथि समाप्त होने के उपरान्त आ रही समस्याओं के बारे मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा CWP No.4729 of 2010 dated 16.8.2010 में पारित आदेशों जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने प्रदेश के महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर प्रवेश की अन्तिम तिथि 30 जून निर्धारित कर रखी है पर विचार–विमर्श करने के उपरान्त, छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन छात्रों को जो स्नातक कक्षाओं की रूसा प्रणाली के अंतर्गत 15 जुलाई, 2015 तक चल रही परीक्षाओं तथा किन्हीं अन्य अपरिहार्य कारणों से स्नातक स्तर पर 30 जून, 2015 तक प्रवेश नहीं ले पाये हैं के लिए विशेष प्रकरण के तौर पर प्रवेश की अन्तिम तिथि 20 जुलाई, 2015 तक बढ़ाने को अपनी स्वीकृति प्रदान की बशर्ते कि उस महाविद्यालय में सीटें रिक्त हों । कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त लिये गये निर्णय को भविष्य के लिए पूर्व उदाहरण/नियम न माना जाये ।

मद संख्या–18: डॉ0(श्रीमती) नीरजा शर्मा, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 1–11–2013 सायं से नियमित नियुक्ति उपरान्त एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने उपरान्त स्थाईकरण का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ ।

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने डॉ0(श्रीमती) नीरजा शर्मा के आयुर्वैदिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्व पूर्ण करने के पश्चात उनकी सेवाओं को दिनांक 2–11–2014 से स्थाईकरण करने हेतु अनुमोदित किया ।

.....

यथा–स्थान मदें :–

कार्यकारिणी परिषद् सदस्य श्री चन्द्र शेखर ने श्री सौरव जो अप्रैल, 2014 में दुर्घटना का शिकार होने व उनके सिर पर चोट आने के कारण शैक्षणिक सत्र 2014–2015 में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश नहीं ले पाये थे, और अब उनकी आयु विश्वविद्यालय द्वारा अध्यादेश 3.3 (A) के अंतर्गत निर्धारित आयु सीमा से 9 महीने 22 दिन अधिक हो चुकी है को विशेष प्रकरण के तौर पर आयु सीमा में छूट देने का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष रखा । जिस पर कार्यकारिणी परिषद् ने श्री सौरव द्वारा प्रस्तुत किये गये चिकित्सा प्रमाण–पत्र को मध्यनजर रखते हुये उन्हें स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश लेने के लिए विशेष प्रकरण के तौर पर आयु सीमा में छूट देने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। कार्यकारिणी परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि उपरोक्त लिये गये निर्णय को भविष्य के लिए पूर्व उदाहरण/नियम न माना जाये ।

सदस्य श्री चन्द्र शेखर जी ने सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में आई.आर.डी.पी. छात्रों को फीस में रियायत देने का मामला भी उठाया । उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को फीस में कुछ रियायत देनी चाहिए ताकि समाज के कमजोर वर्ग की देश के विकास में भागीदारी सुनिश्चित हो सके । जिस पर कार्य.कारिणी परिषद् को अवगत करवाया गया कि मामले का परीक्षण कर इसमें आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जायेगी ।

अन्त में बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई ।

(डॉ0 पंकज ललित)
कुलसचिव
सदस्य–सचिव

पुष्टिकरण
हस्ता0/–

(आचार्य ए0डी0एन0 बाजपेयी)
कुलपति/सभापति